न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसवा

मु.नं. 85/23

'रामकिशन बनाम रामसहाय'

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 8/6/23<br>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 2/7/23 को पेश हो।<br>हस्ताक्षर रीडर | |
| 2/7/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आए, वकील वादी उप. आए, इनके द्वारा प्रा.पत्र धारा 152, 151 पर बहस सुनी गई, वास्ते आदेश दिनांक 17-7-23 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा) | |
| 17/7/23 | पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से संशोधित लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया, जो पत्रावली का भाग समझा जावे, पत्रावली मैसलतहाए होकर दाखिल दफ्तर किया जाकर नकल से काम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा) | |

# न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
# जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 85/2023 (पूर्व प्रकरण सं. 262/2008)(129/2022)
निर्णय दिनांक 17.7.2023

## प्रकरण :– दावा जैर धारा 88 एवं 188 राज.काश्तकारी अधि.

### प्रकरण का उनवान

रामकिशन पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी बांदीकुई जागीर ढाणी रामचन्द तह.बसवा
(वादी)

### बनाम

1.रामसहाय पुत्र भौरया (फौत) जाति मीना निवासी कालेड तह.बसवा (दौसा)
हाल/वर्तमान कायम मुकामान
1/1.बबली पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी कालेड
1/2.हरीश चंद पुत्र विश्राम जाति मीना सा.नूनिया बसेठ कठूमर,अलवर
2.प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, राजगढ तह.राजगढ
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,बसवा
(प्रतिवादीगण)

## –:संशोधित निर्णय :– दिनांक :– 17.07.2023

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से एडवाकेट श्री संपतराम जांगीड

पत्रावली प्रश्नगत प्रकरण में वकील वादी श्री संपतराम जांगीड की ओर से एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 152 एवं 151 जा.दी. के तहत उनवानी प्रकरण रामकिशन बनाम रामसहाय वगैरह में पेश किये जाने के समर्थन में प्रस्तुत हुई है । प्रस्तुत प्रा.पत्र का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि पूर्व में उपरोक्त उनवानी प्रकरण दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष विचाराधीन रहा तदोपरांत उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई को स्थानांतरित कर दिया गया । दौराने सुनवाई प्रतिवादी रामसहाय फौत होने के कारण उसके वारिसों को कायम मुकामात बनाया गया गया एवं रिकोर्ड पर लिया गया । नियमानुसार सुनवाई के उपरांत प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करके, बहस अंतिम सुनकर दिनांक 23.9.2022 को न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई द्वारा निर्णय जारी करते हुए वादी राकिशन द्वारा दिनांक 17.5.1980 को कयशुदा भूमि का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादियान के नाम खातेदारी से हजफ करने के आदेश जारी किये गये । मुताबिक प्रा.पत्र उक्त कय ग्राम कालेड के साबिक खसरा नंबर 191/3/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिससे नये खसरा नंबर 912 रकबा 0.70 हैक्टयर, 920 रकबा 0.30 हैक्टयर, 929 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.20 हैक्टयर का रजिस्टर्ड बयनामा 17.5.1980 को प्रतिवादी रामसहाय द्वारा केता रामकिशन पुत्र गंगाधर मीना के पक्ष में निस्पादित किया गया था । उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी रामसहाय की फौतगी के कारण जो कायम मुकामात तय किये गये, उनके संबंध में पटवारी हलका के नामान्तकरण से जांच करने पर वे नाम त्रुटिपूर्ण पाये गये, किंतु अब कायम मुकामात बहनों द्वारा हक त्याग कर दिया गया है । ऐसी दशा में न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई द्वारा जो अंतिम डिक्री 23.9.2022 को जारी की गई उसे संशोधित करने की दरकार है, अतः यह प्रा.पत्र स्वीकार करके संशोधित किया जावे ।

उक्त प्रा.पत्र 151 व 152 जा.दी. के समर्थन में संलग्न वकील वादी द्वारा हकत्यागपत्र 500/रूपये स्टांपस नंबर वी 255040 पर तहरीर व उप पंजीयक बसवा द्वारा पंजीबद्ध हकत्यागपत्र की सत्यप्रति भी पेश की ।

प्रश्नगत प्रा.पत्र के समर्थन में पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया, जिसमें दस्तावेजी आधार पाये गये कि न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई द्वारा उनके प्रश्नगत निर्णय 23.9.2022 की अनुपालना हेतु तहसीलदार बसवा को पत्र जारी किया था । तहसीलदार बसवा द्वारा संलग्न पटवारी हलका रिपोर्ट उनके पत्रांक भू.अ./2023/168 दिनांक 20.1.2023 के द्वारा पुनः न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई को प्रत्युत्तर दिया कि "जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 108 में दर्ज सभी

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

सहखातेदार यथा रामसहाय के वारिसान, विश्राम के वारिसान से मेल नहीं खाते हैं, ऐसी दशा में उक्त त्रुटी के पुनः स्पष्टता के साथ संशोधन के पश्चात ही पालना किया जाना संभव है ।"

पत्रावली में मौजूद उक्त पत्राचार द्वारा तहसीलदार बसवा से यह पूर्णतः स्पष्ट पाया गया कि वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र 151, 152 जा.दी. के तथ्य सही हैं, संभवत पूर्वोक्त में निर्धारित कायम मुकामात त्रुटिपूर्ण रहने एवं जमाबंदी में दीगर नाम रहने के कारण, निर्णय न्यायालय की पालना संभव नहीं हो सकी ।

उक्त स्थिति में यह भी लाजिमी ओर आवश्यक प्रतीत होता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई के द्वारा पारित निर्णय 23.9.2022 को भी आद्योपांत अध्ययन किया जावे । पत्रावली में मौजूद उक्त निर्णय निम्न प्रकार पारित है :–

"वादी वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जरिये वकील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में पेश किया है कि ग्राम कालेड तह.बसवा खसरा नंबर 191/3/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 912 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नंबर 929 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल रकबा 1.20 हैक्टयर स्थित है वादी ने भूमि मुतदाविया के खातेदार रामसहाय पूत्र भौंरया जाति मीना निवासी कालेड से बिल एवज 6000/–रूपये अक्षरे छः हजार रूपये में 11/19 वां हिस्सा भूमि मय सू बोल पाल डोल सहित जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.5.1980 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से वादी भूमि मुतदाविया पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । व लगान अदा करना चला आ रहा है । वादी के हक में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.5.80 का पुश्त संख्या 40 कम सं. 199 एवं पृष्ठ संख्या 243 व 244 पर पंजीकृत हुआ है । तथा बाद पंजीकृत बयनामा वादी के हर में नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 28.11.1980 को स्वीकृत हो गया । नामान्तकरण संख्या 53 के कॉलम नं. 9 में स्वीकृत नामान्तकरण का अमल दरामद जमाबंदी संवत् 2039 के खाता संख्या 63 पर दर्ज अमल दरामद हुआ है और संवत् 2039 में खाता संख्या 63 पर वादी के नामा का खाता बना दिया था लेकिन राजस्व अधिकारियों ने अपने मनमाने तरीके से खाता संख्या 63 में वादी के नाम को काट दिया और उस गलत तरीके से वादी का नाम काटने के कारण आगामी बनी जमाबंदी सं. 2043 में भी वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं हुआ है उसके पश्चात तहसीलदार बसवा में भू.प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही शुरू हो गयी भू.प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही समाप्त होने पर भूमि मुतदाविया का गलत तरीके से विक्रेता रामसहाय पुत्र भौंरया के नाम ही वादी द्वारा खरीद की गई भूमि का भी खाता अन्य भूमि के साथ बना दिया राजस्व अधिकारियों को बिना किसी सक्षम अधिकारियों को बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के बगैर किसी भी खातेदार का नाम काटने का अधिकार नहीं था लेकिन नामान्तकरण संख्या 53 के आधार पर जमाबंदी संवत् 2039 में जब वादी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद हो गया जो राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही बाबत काटजे जाने अमलदरामद वादी के हक हकुक भूमि मुतदाविया की बाबत काले अदम गैर मौशर प्रभावहीन व शुन्य है और वादी मुताबिक बयनामा दिनांक 17.5.1980 के खाता संख्या 82 नया व पुराना 72 के खसरा नंबर 912, 920, 929 से प्रतिवादी नं. 1 नाम हजफ कराकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है । इस प्रकार दुरस्ती खाता संख्या 82 में कराने का अधिकारी है । प्रतिवादी नं. 1 द्वारा गलत खातेदारी दर्ज कराने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि मुतदाविया से प्रतिवादी 2 के रहन रखकर लोन उठा लिया जबकि उक्त भूमि मुतदाविया से प्रतिवादी 1 का किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है । अब लोन को चुका कर दुसरी जगह से लोन लेने की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 उतारू है तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी सं. 1 द्वारा लिये गये लोन की ऐवज में भूमि मुतदाविया को कुर्क कर निलामी की कार्यवाही करने पर उतारू हो रहा है। ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है । दिनांक 20.12.2008 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को जमाबंदी में गलत इन्द्राजात को दुरस्त कराने हेतु कहा तो मना कर दिया इसलिये दावा हाजा पेश करना लाजिमी आया । इस्तकरारहक व दुरस्ती इन्द्राज बहस वादी वरखिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जावे ।

वादी वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण करवाई गई । दिनांक 6.2.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से 2 की ओर से यूटी एवं वकालतनामा पेश किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पावर पेश नहीं होने एवं उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 21.6.2010 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 5.9.2016 को वादी उपस्थित नहीं होने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया गया । प्रकरण में दिनांक 3.4.2018 को प्रा.पत्र वाजदायरी स्वीकार होने पर पुनः प्रतिवादीगण तलबी करवाई गई । प्रतिवादी 1 रामसहाय फौत होने पर उनके वारिसान को कायम मुकाम बनाया जाकर कायम मुकाम की तलबी की गई । प्रतिवादी 1 के कायम मुकामान की रजिस्टर्ड तलबी होने पर

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

भी कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी पर नियत की गई । वादी की ओर से रामकिशन पुत्र गंगाधर, घासी पुत्र गोपाल का पेश किया गया । दिनांक 13.9.2022 को साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की जाकर एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

बहस के दौरान वादी वकील द्वारा अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि ग्राम कालेड तहसील बसवा जिला खसरा नंबर 191/3/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 912 रकबा 0.70 हैक्टयर, 920 रकबा 0.30 हैक्टयर, 929 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल रकबा 1.20 हैक्टयर सिथत है । वादी ने भूमि मुतदाविया के खातेदार रामसहाय पुत्र भौंरया जाति मीना निवासी कालेड से बिल एवज 6000/–रूपये अक्षरे छः हजार रूपये में 11/19 वां हिस्सा भूमि मय मूल सू बोल पाल डोल सहित जरिये रजिस्टर्ड बयनाता दिनांक 17.5.1980 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से वादी भूमि मुतदाविया पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है य लगान अदा करता चला आ रहा है ।

वादी के हक में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.5.1980 का पुश्त संख्या 40 कम सं. 199 एवं पृष्ठ संख्या 243 व 244 पर पंजीकृत हुआ है । तथा बाद पंजीकृत बयनामा वादी के हक में नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 28.11.1980 को स्वीकृत हो गया । नामान्तकरण संख्या 53 के कॉलम नं. 9 में स्वीकृत नामान्तकरण का अमल दरामद जमाबंदी संवत् 2039 में खाता संख्या 63 पर दर्ज अमल दरामद हुआ है । संवत् 2039 में खाता संख्या 63 पर वादी के नाम का खाता बना दिया था लेकिन राजस्व अधिकारियों ने अपने मनमाने तरीके से खाता संख्या 63 में वादी के नाम को काट दिया और उस गलत तरीके से वादी का नाम काटने के कारण आगामी बनी जमाबंदी में संवत् 2043 में भी वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं हुआ है । उसके पश्चात तहसील बसवा में भू.प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही शुरू हो गई । भू.प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही समाप्त होने पर भूमि मुतदाविया का गलत तरीके से विकेता रामसहाय पुत्र भौंरया के नाम ही वादी द्वारा खरीद की गई भूमि पर भी खाता अन्य भूमि के साथ बना दिया राजस्व अधिकारियों को बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के बगैर किसी भी खातेदार का नाम काटने का अधिकार नहीं था लेकिन नामान्तकरण संख्या 53 के आधार पर जमबंदी संवत 2039 में जब वादी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद हो गया तो राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही बाबत काटे जाने अमल दरामद वादी के हक हकूक भूमि मुतदाविया की बाबत काले अदम गैर मौशर प्रभावहीन व शुन्य है । वादी मुताबिक बयनामा दिनांक 17.5.1980 के खाता संख्या 62 नया पु पुराना 72 के खसरा नंबर 912, 920, 929 से प्रतिवादी नंबर 1 का नाम हजफ कराकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है । इस प्रकार दुरस्ती खाता संख्या 82 में कराने के अधिकारी हैं । भूमि मुतदाविया के गत खसरा नंबर 191/3/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा को वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से दिनांक 17.5.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया । जिसके हाल खसरा नंबर खाता संख्या 82 के खसरा नंबर 912, 920, 929 है, से प्रतिवादी नं. 1 का नाम हजफ करके वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे ।

प्रतिवादी 1 द्वारा गलत खातेदारी दर्ज कराने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि मुतदाविया से प्रतिवादी 2 के रहन रखकर लोन लिया जबकि उक्त भूमि मुतदाविया से प्रतिवादी 1 का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है । प्रतिवादी नं. 2 से प्रतिवादी नं. 1 द्वारा लिये गये लोन की एवज में भूमि मुतदाविया को कुर्क कर निलामी की कार्यवाही करने पर उतारू हो रहा है ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं ।

हमने बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया है एवं पत्रावली का परीशीलन किया गया । पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 का जबाव पेश नहीं करने के कारण तनकियात कायम नहीं की हैं ।

प्रकरण के सही विवेचन हेतु वाद पत्र का 2 महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आधार के आधार पर विभाजित करते हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

बिन्दु संख्या 1 वादी का कथन कि उसको प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिनांक 17.5.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र बयनामा करवाया गया है उसी के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

बिन्दु संख्या 2 वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी 1 ने प्रतिवादी 2 से जो ऋण लिया गया है उक्त भूमि कुर्की नहीं हो इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक है ।

बिन्दु संख्या 1 उक्त वादी के उक्त कथन के संबंध में हमने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2062–65, खाता संख्या 82 पुराना 72 में रामसहाय पुत्र भौंरया का नाम दर्ज है । प्रदर्श 2 नकल विकय पत्र जो रामसहाय पुत्र भौंरया द्वारा दिनांक 17.05.1980 को रामकिशन पुत्र गंगाधर को किये गये, बेचाननामा, पदर्श –3 मिलान क्षैत्रफल 2052–71, प्रदर्श–4

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

नामान्तकरण संख्या 53, 28.11.1980 प्रदर्श 5 जमाबंदी पडत, प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी भूप्रबन्धन विभाग, प्रदर्श 7 जमाबंदी खतोनी 2035–38 जिसमें रामकिशोर पुत्र गंगाधर के नाम का नामान्तकरण बयनामा के आधार पर खोला गया है ।

प्रदर्श 2 नकल विकय पत्र में रामसहाय पुत्र भौरया द्वारा वादग्रस्त भूमि रामकिशन पुत्र गंगाधर को बेचान की गई है । प्रदर्श 4 नामान्तकरण संख्या 53, 28.11.1980 में नामान्तकरण में रामकिशन की जगह रामकिशोर अंकित किया गया एवं अस्वीकृत करना अंकित किया गया है । प्रदर्श–7 जमाबंदी संवत् खतोनी 2035–38 में रामकिशोर पुत्र गंगाधर का नाम अंकन हुआ है जबकि बयनामा में रामकिशन है । परंतु प्रदर्श 2 नकल विकय पत्र जो रामसहाय पुत्र भौंरया द्वारा दिनांक 17.5.1980 को रामकिशन पुत्र गंगाधर को विवादग्रस्त भूमि को बेचान किया गया है । उक्त बेचाननामा प्रमाणित है जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि विवादाग्रस्त भूमि का प्रतिवादी 1 ने वादी को बेचान कर दिया है जिसके आधार पर उक्त भूमि मुतदाविया वादी की होना प्रतीत होती है अतः उक्त प्रदर्श 2 के आधार पर वादी को खातेदारी दी जा सकती है । वादी का कथन 1 रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर सिद्ध होता है । उक्त बेचाननामें के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

बिन्दु संख्या 2 वदी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी 1 ने प्रतिवादी 2 से जो ऋण लिया गया है उक्त भूमि की कुर्की नहीं हो इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है । उक्त कथन के समर्थन में वादी द्वारा प्रदर्श 2 पेश किया है । प्रतिवादी 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान दिनांक 17.5.1980 को वादी को कर दिया गया है । उक्त बेचाननामा के आधार पर वादी उक्त वादग्रस्त भूमि पर खातेदार हो गया है । बिना किसी आधार के खातेदार की भूमि को कुर्क या रहन नहीं किया जा सकता है । प्रतिवादी 1 का उक्त बेचाननामें के आधार पर कोई अधिकारात प्राप्त नहीं है । अतः प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का वादी कानूनन अधिकारी है । उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण को सथाई निषेधाज्ञा से पांबंद किया जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है ।

अतः आदेश है कि ग्राम कालेड तहसील बसवा जिला दौसा के खसरा नं. 191/3/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खाता संख्या 82 नये खसरा नंबर 912 रकबा 0.70 हैक्टयर, 920 रकबा 0.30 हैक्टयर, 929 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल रकबा 1.20 हैक्टयर में रजिस्टर्ड बेचानामा दिनांक 17.5.1980 के आधार पर रामकिशन पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी बांदीकुई जागीर ढाणी रामचंद्र को काश्तकार, खातेदार घोषित किया जाता है । उक्त खसरा नंबरान से प्रतिवादी संख्या 1 नाम हजफ किया जावे । तथा प्रतिवादीगण को उक्त खसरा नंबरान को रहन बय कुर्क नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है । तहसीलदार बसवा नियमानुसार उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व रिकोर्ड में करें । तहरीर एवं पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

मेरे द्वारा आज दिनांक 23.9.2022 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया है ।"

हमारे द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बांदीकुई के निर्णय, तहसीलदार बसवा द्वारा निर्णय के संबंध में पालना में अवरोध उत्पन्न करने वाले बिन्दु एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत 151 व 152 जा.दी. का गहन अवलोकन, मनन व परीशीलन किया गया ।

वादी वकील को सुना गया । वादी पक्ष द्वारा प्रश्नगत वाद पत्र में निरंतर यह आक्षेप राजस्व अधिकरियों एवं कर्मचारियों पर आक्षेपित किया गया है कि उसके द्वारा 17.5.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के प्रतिवादी सं.1 की कुल भूमि का हिस्सा 11/19 कय कर लिया गया, तदोपरांत उसका नामान्तकरण भी खोला गया, किंतु उसे बदनियति से निरस्त/अस्वीकृत कर दिया, और आगामी जमाबंदी में पुनः इस कय किये गये हिस्से को प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में अंकित कर दिया गया ।

उक्त जो भी आक्षेप वादी पक्ष द्वारा राजस्व कार्मिकों एवं अधिकरियों पर आरोपित किये हैं वे पूर्णतया नियमों की अज्ञानता एवं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना इंगित करते हैं ।

वास्तविकता यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अध्याय 4 अभिधृतियों का अंतरण की धारा 42 क के द्वारा कृषि भूमियों के किसी भी खसरा नंबर को हिस्से (Fragment) में विकित हो जाने के उपरांत भी, नामान्तकरण खोलने पर पूर्णतया पाबंदी थी । चूंकि प्रश्नगत विकय पत्र वर्ष 1980 में 191/3/5 ग्राम कालेड के हिस्से 11/19 का ही कय किया गया था, जो कि धारा 42 क के तहत नामान्तकरण खोले जाने हेतु निषेधित था । यही कारण है कि उक्त नामान्तकरण तत्समय कार्मिक स्तर पर तो नामान्तकरण अंकन संबंधी कार्यवाही हो गई किंतु तत्समय/तत्पश्चात इसे निरस्त करके, भूमि पुनः मूल खातेदार में समाहित हो गई । उक्त कार्यवाही तत्समय प्रभावी राजस्व नियमों के तहत की गई थी जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सिद्ध नहीं नहीं हैं । विधिविरूद्ध की गई

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

कार्यवाही हमेशा न्यायरहित होती है, अतः तत्समय खोले गये नामान्तकरण के साथ भी यही हुआ, जो उस समय के अनुसार बिल्कुल सटीक ओर सही कार्यवाही थी ।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा इस धारा 42 क **(Fragment)** को राजस्थान अधिनियम सं. 22 सन् 1992 द्वारा दिनांक 11.11.1992 से खण्ड (क) का विलोपन किया जा चुका है, तत्पश्चात राज्य सरकार ने हिस्से का विक्रय की अनुमति प्रदान कर दी है । साथ ही 11.11.1992 से पूर्व हुए फ्रेगमेंट के विक्रयपत्रों को नियमानुसार सहायक कलक्टर/उप जिला कलक्टर के सम्मुख वाद दायर करके, भूमियों का नामान्तकरण निस्तारण की शक्तियां प्रदान करते हुए, पूर्व में फ्रेगमेंट के विक्रयपत्रों को नामान्तकरण हेतु पर्याप्तता स्वीकार की गई है ।

अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है । साथ ही चूंकि प्रतिवादी 1 एवं विकेता के कायममुकामान द्वारा भी उनके हिस्से का हकत्याग कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में उनसे किसी अनुतोष की वादी को अपेक्षा हो, बिन्दु सिद्ध नहीं होता है । अतः उन कायम मुकामान जो कि वर्तमान में इस अभिधृति के काश्तकार/खातेदार नहीं हैं, उन्हें निर्णय में शुमार करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः उनका निर्णय से विलोपन किया जाता है ।

चूंकि धारा 42 क दिनांक 11.11.1992 को निष्प्रभावी हो चुकी है ऐसी दशा में **आदेश दिये जाते हैं कि** प्रश्नगत विकय पत्र दिनांक 17.5.1980 ग्राम कालेड तहसील बसवा जिला दौसा के हाल खसरा नंबर 912 रकबा 0.70 हैक्टयर, 920 रकबा 0.30 हैक्टयर, 929 रकबा 0.20 हैक्टयर कुल रकबा 1.20 हैक्टयर के आधार पर उक्त तीनों खसरा नंबरों का संपूर्ण हिस्सा के वादी रामकिशन पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी बांदीकुई जागीर ढाणी रामचंद्र को काश्तकार, खातेदार घोषित किया जाता है । उक्त खसरा नंबरान से प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 कमशः बबली पुत्र रामसहाय एवं हरीश चंद पुत्र विश्राम नाम हजफ किया जावे । तथा प्रतिवादीगण को उक्त खसरा नंबरान को रहन बय कुर्क नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है । तहसीलदार बसवा नियमानुसार उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व रिकोर्ड में करें । तहरीर एवं पर्चा डिकी जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
जिला- दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)